

प्रेस होने वाली रिपोर्ट दिनांक 23/10/18
को वेष है। पूर्व में ही अज्ञानता से प्रकाशित
जा चुका है।

उपखण्ड अधिकारी

करौली

श्री. माक P. सा. के उद्योग कार्य में व्यक्त होने के

कारण आज दिनांक 23/10/18 को

विचाराधीन राजस्व मुकदमात की

सुनवाई दिनांक 8/1/19 को

की जायेगी।

श्री. माक P. सा. के मंत्री जी के ज्ञाते प्रकट होने के

कारण आज दिनांक 23/1/19 को

विचाराधीन राजस्व मुकदमात की

सुनवाई दिनांक 16/1/19 को

की जायेगी।

वकील फीकेन उपस्थित। वकील जयपल

द्वारा प्राप्त आज दिनांक तक और जयपल

से 3 के वारंटों के बिक्री पर लेने का
प्रेष नहीं किया है और जयपल से 3 के

विमल प्रार्थना पत्र रेटिड हो चुका है।

फलस्वरूप और जयपल से 3 के विमल प्रार्थना

पत्र रेटिड मिले जाने के कारण दिने

जारी है। वारंट वदत 7-9-19 प्रशासकी

दिनांक 30-1-19 को पत्र है।

उपखण्ड अधिकारी

करौली (राज०)

30-1-19

वकील फीकेन उपस्थित। पत्रावली को वकील

जयपल द्वारा No Press को गई पत्रावली

को आगे चलाया नहीं जायेगा है। पत्रावली

No Press से खारिज की जायेगी है।

पत्रावली केवल सुमार होकर नम्बर से

क्रम होकर हम फील रावा रहे।

उपखण्ड अधिकारी

करौली (राज०)

Null-press

30-1-19